न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 226/2014

1. प्रधान गुरूद्वारा विश्वकर्मा रामगढ़िया सिंह सभा श्री गुरू अर्जुन दरबार नजदीक पुराना डी.टी.ओ. ऑफीस पुरानी आबादी श्रीगंगानगर। जरिये प्रधान अमरसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति रामगढ़िया निवासी गुरूद्वारा श्री गुरू अर्जन दरबार के नजदीक पुरानी आबादी श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. अग्रेजसिंह पुत्र मुख्तयारसिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. मुख्तयारसिंह पुत्र श्री मलसिंह
3. सुरजीतकौर पुत्री श्री मलसिंह
4. बलदेवसिंह पुत्र जगराजसिंह

   निवासीयान गांव मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. तारासिंह पुत्र जगराजसिंह
6. सुरेन्द्र कौर
7. परमजीतकौर
8. बलजीतकौर
9. हरजीतकौर
10. अमरजीतकौर

    पुत्रियान श्री जगराजसिंह निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. साधुसिंह पुत्र श्री प्रीतमसिंह निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रींगगानगर।
12. स्टेट आफ राजस्थान

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री तेजासिंह अधिवक्ता	प्रार्थी
2. श्रीमति मन्जू गुप्ता अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री राजाराम बिश्नोई अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 11

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 13-10-16

प्रार्थी नें जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है :–

प्रार्थी व प्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुश्तर्का खाते में खाता संख्या 52 मुरब्बा नम्बर 42 की 2.023 हैक्टर भूमि खातेदारी है खाता मुश्तर्का है जिसमें आवेदक के नाम 60 हिस्सा यानि 0.758 हैक्टर दर्ज है।

आवेदक एक धार्मिक संस्था है, जिसके नाम से राजस्व रिकार्ड में चक 9 वाई में मुरब्बा नम्बर 42 में 0.758 हैक्टर भूमि है वादग्रस्त भूमि मुश्तर्का खाते में है इसी कारणवश अन्य खातेदार धार्मिक संस्था की भूमि पर नाजायज कब्जा कर लेते है। इसी कारण आपस में विवाद रहता है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

878/2

वाद ग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सिवाय सभी अपनें हिस्से की हद तक काबिज है। लेकिन आवेदकगण संख्या 1 व 2 का धार्मिक संस्था की सम्पत्ति आवेदक के नाम से है। उस पर नाजायज कब्जा कर रखा है। और उसका नाजायज फायदा उठा रहे है। जबकि वे अपनें हिस्से तक की काबिज रहनें के अधिकारी है। आवेदकगण अतिक्रमी की परिभाषा में आते है। ऐसी सूरत में धार्मिक संस्था के राईट को प्रोटैक्ट करनें के लिये रिसीवर कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक व उचित है।

आवेदकगण भूमि में नमक डालकर खुर्दबुर्द करनें पर उतारू है यदि भूमि को रिसीवर नहीं किया गया तो भूमि को नष्ट व डैमेज कर देगे। उसकी उर्वरक शक्ति को खत्म कर देगे।

इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के कब्जा में प्रार्थी की भूमि है, उसका कब्जा बहक सरकार लिया जाकर रिसीवर कायम किया जाकर चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुश्तर्का खाते में खाता संख्या 52 मुरब्बा नम्बर 42 की 2.023 हैक्टर भूमि खातेदारी है खाता मुश्तर्का है जिसमें आवेदक के नाम 60 हिस्सा यानि 0.758 हैक्टर पर दौरानें दावा रिसीवर किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिऐ जरिऐ रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तथा अप्रार्थी संख्या 11 जरीये अधिवक्ता उपस्थित आकर अप्रार्थी संख्या 2 ता 10 बाद तामिल उपस्थित नहीं आनें पर दिनांक 23.11.2015 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 18.05.2016 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अर्न्तगत कथन किया कि चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुश्तर्का खाते में खाता संख्या 52 मुरब्बा नम्बर 42 की 2.023 हैक्टर भूमि खातेदारी है खाता मुश्तर्का है जिसमें आवेदक के नाम 60 हिस्सा यानि 0.758 हैक्टर भूमि गलत रूप से बिना किसी हक व अधिकार के षड़यन्त्र रचकर मिलीभगत कर दर्ज करवाया गया है। क्योंकि उपरोक्त भूमि अप्रार्थी के दादा मलसिंह के नाम से चक 9 वाई का मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 11 ता 24 कुल तादादी 8.00 बीघा नहरी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी अप्रार्थी के दादा नें इस भूमि में से किला नम्बर 11 व 24 अपनें जीवनकाल में हजुरसिंह को विक्रय का दी थी। अप्रार्थी के दादा वृद्ध होनें के कारण उनके जीवनकाल में शेष 6.00 बीघा भूमि की काश्त, देखभाल, सार सम्भाल अप्रार्थी ही करता रहा। जिसकी वसीयत दिनांक 17.02.1989 को अप्रार्थी के हक में करवा दी । जिसके आधार पर अप्रार्थी के हक में दिनांक 23.05.1990 को नामान्तरकरण संख्याा 93 प्रार्थी के नाम दर्ज हो गया। दादा के जीवनकाल में व उसकी मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि का कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 1 के पास ही रहा है।

अप्रार्थी के दादा मलसिंह तीन पुत्र व तीन पुत्रियां में से एक पुत्र निरजन सिंह द्वारा अपनी बहनों से अवैध एवम् कानून के खिलाफ जाकर दस्तबरदारी बिना किसी हक व अधिकार के उनसे मिली भगत कर अप्रार्थी को नुकसान करनें के उद्देश्य से करवाई गई है प्रार्थी नें अपनें नाम से अवैध एवम् कानून के खिला एक उपहार पत्र दस्तावेज तैयार करवाकर रिकार्ड में अंकन करवा दिया गया। जबकि निरजनसिंह का इस भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा। और ना ही निरजनसिंह व उसकी बहनों को प्रार्थी के हक की भूमि को जरिये दानपत्र देनें का कोई हक व अधिकार था।

अप्रार्थी द्वारा धारा 88, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम बाबत खातेदारी करवानें का दावा पेश किया जो अदम पैरवी में खारिज होनें के होनें पर रिस्टोर करवाकर बाजवा नम्बर पर लिये जानें का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। जो न्यायालय में विचाराधीन है और स्थगन आदेश भी प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

संख्या 23/2005 को पेश किये जानें पर दिनांक 20.03.2006 को राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा स्थगन आदेश भी प्रार्थी को दिया गया है।

उक्त विवादित प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन रहते हुए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी विचाराधीन है उसमें स्थगन आदेश है। असल तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र गलत रूप से बिना किसी हक व अधिकार के पेश किया गया है। जो सव्वय निरस्त किये जानें योग्य है।

उपरोक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है, इसलिये अब उपरोक्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर लेनें की धमकी देना स्वयं प्रार्थी के कथनानुसार आधारहीन साबित होता है। इस कारण से आपस में विवाद होना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। ना ही उपरोक्त प्रार्थना पत्र चलनें के काबिल है।

अप्रार्थी संख्या 1 के हक में अप्रार्थी के दादा नें उपरोक्त भूमि की वसीयत की गई थी जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से इन्तकाल चढ़ा था और उसी के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 अपनी भूमि पर काबिज है। जबकि प्रार्थी नाजायज कब्जा करनें व धार्मिक संस्था की आड़ में नाजायज रूप से अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि हड़पनें की फिराक में है।

अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त भूमि अपनें दादा से जरिये वसीयत हासिल होनें के कारण कब्जा सही रूप से अप्रार्थी संख्या 1 का उपरोक्त भूमि पर है। प्रार्थी धार्मिक संस्था की आड़ में गलत प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह कर गलत आदेश पारित करवाना चाहता है। जो सव्यय निरस्त योग्य है।

उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में दिनांक 16.09.2016 को बहस सुनी गई प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए भूमि को रिसीवर करनें कर निवेदन किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रूप से कथन करते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त करें का निवेदन किया प्रार्थी

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। वर्तमान विवादित भूमि के सम्बध में राजस्व मण्डल में विवाद विचाराधीन है सम्भागीय आयुक्त महोदय द्वारा नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया है और माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रकरण विचाराधीन है। साथ ही रिसीवरी के आवश्यक कारक है मिडियो में भूमि का होना तथा भूमि को नुकसान पहुचाना वर्तमान परिस्थितियों में न्यायिक विवादों के परिदृष्य में भूमि को इन मिडियो नहीं माना जा सकता साथ ही प्रार्थी का भूमि पर मालिकाना हक भी स्पष्ट तौर पर साक्ष्यों का मोहताज है, इसलिये ऐसी स्थिति में रिसीवर जैसे कठोर कदम उठाये जानें की परिस्थिति नही है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 13-10-16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूल वाद संख्या 146/2014 के साथ शामिल रहें।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर